इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 अप्रैल 2017—चैत्र 21, शक 1939

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-4-2-1987-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 68) की धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में,—

(1) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि वह नियमित न्यायिक सेवा का सदस्य है तो प्रचलित वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करेगा. यदि न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु अर्ह व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होता है तो वह ऐसा वेतन तथा अन्य सुविधायें प्राप्त करेगा, जो समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँ. अन्य सदस्य ऐसी रकम तथा अन्य सुविधाएँ मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावे.".

(2) उप-नियम (5) में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(छ) जो उपभोक्ता प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये उदासीन हैं अथवा समयबद्धता का पालन नहीं करते हैं अथवा अध्यक्ष, राज्य आयोग के मत में उन्हें अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में निरंतर रखा जाना उचित नहीं होगा.".

(3) उप-नियम (5) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु अध्यक्ष या सदस्य को उप-नियम (5) के खण्ड (घ), (ङ) तथा (छ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से नहीं हटाया जाएगा, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी जाँच पर जैसी कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए और जिसमें अध्यक्ष या सदस्य को इस आधार पर दोषी पाया जाये.".

(4) उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(7) जहाँ जिला फोरम के अध्यक्ष के पद पर कोई रिक्ति होती है, वहाँ अध्यक्ष राज्य आयोग के आदेश पर अन्य जिला फोरम का अध्यक्ष तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिये नियुक्त कोई व्यक्ति, जिला फोरम के अध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं कर लेता है.".

(5) उप-नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(8) जब जिला फोरम का अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष, राज्य आयोग के आदेश के रूप में अन्य जिला फोरम का अध्यक्ष उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिस दिन तक अध्यक्ष फिर अपना कार्यभार नहीं सम्भाल लेता है.".

2. नियम 5-क, के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"5-क. राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा, दो से अन्यून, किन्तु ऐसी संख्या में सदस्य होंगे, जो कि आवश्यक समझी जाये, जिनमें से एक महिला होगी, जिन्हें अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.".

3. नियम 5-क, के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"5-ख. अध्यक्ष, राज्य आयोग की अनुशंसा पर, किसी न्यायिक सेवा की पृष्ठभूमि के सदस्य को ऐसी सेवा शर्तों पर जैसी कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, राज्य आयोग में प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त/नामनिर्देशित किया जा सकेगा.".

4. नियम 6 में,—

(1) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) राज्य आयोग के अध्यक्ष, यदि वह उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, तो राज्य सरकार द्वारा विहित सेवा शर्तों के अनुसार वेतन तथा अन्य सुविधायें प्राप्त करेंगे. यदि उच्च न्यायालय के कार्यरत् न्यायाधीश इस पद पर नियुक्त होते हैं, तो वह तथा अन्य सदस्य, ऐसी रकम तथा अन्य सुविधायें मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई हैं.".

(2) उप नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्त:स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"(1 क) राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मुख्यालय राज्य आयोग की प्रमुख पीठ के मुख्यालय पर होगा, तथापि किसी सदस्य का मुख्यालय, राज्य आयोग की श्रृंखला पीठ/बैठक के किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित तथा अधिसूचित किया जा सकेगा.".

"(1 ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसे सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे जिला मुख्यालयों पर, राज्य आयोग की श्रृंखला बैठकों में नियत तारीखों में भाग लेना आवश्यक होगा.".

(3) उप नियम (5) में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(छ) जो उपभोक्ता प्रकरणों के त्वरित निराकरण में उदासीन है अथवा समयबद्धता का पालन नहीं करते हैं अथवा अध्यक्ष, राज्य आयोग के मत में उनको/उसको सदस्य के रूप में निरंतर रखा जाना उचित नहीं है.".

(4) उप नियम (5) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु अध्यक्ष या सदस्य को उप नियम (5) के खण्ड (घ), (ङ) तथा (छ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से नहीं हटाया जायेगा, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया कि अनुसार ऐसी जाँच पर जैसीकि इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, और जिसमें सदस्य इस आधार पर दोषी पाया जाए.".

(5) नियम 7 में, उप नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्त:स्थापित किये जाए, अर्थात् :—

"(1 क) राज्य आयोग की श्रृंखला पीठ/बैठक ऐसे स्थानों पर संचालित की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-4-2-1987-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April, 2017

No. F 4-2-1987-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Consumer Protection Rules, 1987, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 3,—

(1) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The President of the District Forum, if he/she is a member of regular judicial service, shall receive the prevalent salary and other facilities. If a retired officer from judicial service or a person eligible for appointment for a District judge, is appointed to the post, he/she shall receive such salary and other facilities, as determined by the State Government, from time to time. Other Members shall receive such amount, in lieu of honorarium and other facilities, as determined by the State Government, from time to time.".

(2) In sub-rule (5), after clause (f) the following Clause shall be substituted, namely :—

"(g) is indifferent for fast disposal of consumer cases or does not observe punctuality or in opinion of the President, State Commission it would not be expendient to continue with him/her as a Presient or Member.".

(3) In sub-rule (5), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the President or Member shall not be removed from his/her office on the ground specified in Clauses (d), (e) and (g) of sub-rule (5) except on an inquiry held by the State Government in accordance with such procedure as it may specify in that behalf and finds the President or Member to be guilty or such ground.".

(4) For sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(7) Where any vacancy occurs in the office of the President of the District Forum, the President of other District Forum, as ordered by the President, State Commission, shall discharge the functions of the President until a person appointed to fill such vacancy assumes the office of the President of the District Forum.".

(5) For sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(8) When the President of the District Forum is unable to discharge the functions owning to absence, illness or any other cause, the President of other District Forum, as ordered by the President, State Commission, shall discharge the functions of the President until the day on which the President resumes the charge of his/her functions.".

2. For Rule 5-A, the follwoing Rule shall be substituted, namely:-

"5-A The State Commission shall, besides the President, have not less than two, but in such number of members, which is deemed necessary, one of whom shall be a woman, to be appointed by the State Goverment in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 16 of the Act.".

3. After Rule 5-A, the following Rule shall be inserted, namely:-

"5-B On the recommendation of President, State Commission, any member having judicial service back ground, and on such Service Condition as determined by the State Government may be appointed/nominated as Administrative Member in the State Commission.".

4. In Rule 6,-

(1) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The President of the State Commission, if he/she is a retired judge of High Court, shall receive the salary and other facilities as per service condition prescribed by State Government. If the Sitting judge of High Court is appointed to the post, he/she and other member shall receive such amount as Honorarium and other facilities which is prescribed by the State Government from time to time.".

(2) After sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(1A) The headquarter of President and Members of the State Commission shall be at the headquarter of main seat of the State Commission, however the Headquarter of any member may be changed and notified to be at any other place of circuit bench/Sitting of the State Commission.".

"(1B) It would be necessary for members, who are nominated by the President of State Commission, to participate on scheduled dates of the circuit sittings of State Commission at such District Headquarter, notified by the State Government.".

(3) In Sub-rule (5), after clause (f), the following clause shall be added, namely:-

"(g) is indifferent towards fast disposal of consumer cases or does not observe punctuality or in opinion of President, State Commission it is otherwise not expedient to continue with him/her as a member.".

(4) In Sub-rule (5), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted,namely:-

"Provided that the President or Member shall not be removed from his/her office on the ground specified in clauses (d), (e) and (g) of the Sub-rule (5), above except on an inquiry held by State Government in accordance with such procedure as it may specify in its behalf and finds the member to be guilty of such ground.".

5. In Rule 7, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(1A) Circuit Sitting/Bench of the state Commission shall be conducted on such places, as notified by the State Government.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B.K. CHANDEL, Dy. Secy

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.